बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

सं0सं0-3/यो0-स0क0-08/2019/.....

प्रेषक,

विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मु०),
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक .....

विषय: **समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत विभिन्न लाभुक श्रेणियों के लिए संचालित सभी प्रकार के गृहों के साज-सज्जा एवं आधुनिकीकरण हेतु कुल 921.00 लाख (नौ करोड़ एक्कीस लाख) की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग महिलाओं, वृद्धजनों एवं समाज के निशक्तजनों, बच्चों एवं अन्य अभिवंचित वर्गों के हितों तथा अधिकारों के सरंक्षण हेतु बिहार सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है। समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न लाभुक श्रेणियों के लिए विभिन्न प्रकार के गृह सरकार अथवा गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कार्यरत है यथा वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम गृह, महिलाओं के लिए अल्पावास गृह तथा रक्षा गृह, उत्तर रक्षा गृह, बालक एवं बालिकाओं के लिए बालक/बालिका गृह, विधि विवादित बच्चों के लिए पर्यवेक्षण गृह, भिक्षुकों के लिए भिक्षुक पुनर्वास गृह तथा लावारिस नन्हें बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान आदि कार्यरत है। वर्तमान में राज्य में कुल सात (07) वृद्धाश्रम गृह, पांच (05) भिक्षुक पुनर्वास गृह, चौदह (14) अल्पावास गृह, एक (01) रक्षा गृह, तेइस (23) बालक गृह, अट्ठाइस (28) विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, ग्यारह (11) बालिका गृह, चौदह (14) पर्यवेक्षण गृह, एक (01) विशिष्ट गृह, एक (01) उत्तर रक्षा गृह तथा एक (01) सुरक्षित स्थान अर्थात कुल 106 गृह संचालित है। उक्त सभी गृहों का आधुनिकीकरण किया जाना है।

2. संचालित इन सभी गृहों के लिए वितीय वर्ष 2019-2020 में शीर्षवार अलग-अलग कुल 17900.61 लाख रूपये का योजना उदव्यय प्राप्त है (मदवार योजना उदव्यय संलग्न)। इन प्रत्येक गृहों के आधुनिकीकरण हेतु निम्नरूपेण उन्नयन का प्रस्ताव है :-

(क) प्रत्येक गृह में कम से कम दो R O Water Installation लगाना है।

(ख) प्रत्येक गृह में दो कम्प्युटर प्रिटंर के साथ स्थापित किया जाना है।

(ग) प्रत्येक गृह में कम से कम दो टेलिविजन का व्यवस्था किया जाना है। बच्चों से संबंधित गृह में 14-18 वर्ष के बच्चों के लिए अलग टीवी एवं अन्य के लिए अलग टीवी लगाया जाना है।

(घ) प्रत्येक गृहों का रंग-रोगन (डीप आसमानी कलर से) किया जाना है ताकि उन गृहों की पहचान आसानी से हो सके।

(च) प्रत्येक गृह के शौचालय आदि का जीर्णोद्धार कर आधुनिक बनाया जाना है। प्रत्येक गृह में शौचालय वृद्ध एवं दिव्यांगजन अनुकूलित हो, साथ ही प्रत्येक गृह में वृद्धजनों हेतु बाधामुक्त वातावरण हो यथा- वृद्धाश्रम में बरामदें एवं सीढी आदि पर भी Grab bar की व्यवस्था हो।

(छ) प्रत्येक गृह में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक व्यवस्था (ग्रील, दरवाजा इत्यादि का फिटिंग) करवाकर उसे दुरूस्त किया जाना है।

(ज) प्रत्येक गृह में फर्निचर की व्यवस्था की जानी है यदि जरूरत हो तो आवश्यकतानुसार पुराने फर्निचर को बदल नये का क्रय किया जाना है।

(झ) प्रत्येक गृह में आवश्यकतानुसार पुराने या टूटे हुए बर्तन के स्थान पर जरूरत के अनुसार नये बर्तन का क्रय किया जाना है।

(ट) प्रत्येक गृह में आसमानी रंग में बोर्ड लगाया जाना है, जिसकी लम्बाई चौडाई 4x2.5 फीट होना चाहिए।

(ठ) प्रत्येक गृह में एक लाईब्रेरी की व्यवस्था की जायेगी जिसमें एक अलमारी में किताबे/मैगजीन/अखबार आदि का संधारण किया जाना हैा साथ ही तीन माह तक के मैगजीन/अखबार का संधारण किया जाना है।

(ड) यदि गृह मेन रोड से अंदर है तो उन्हें साइनेज के माध्यम से रेखांकित करवाया जाना है। साथ ही साइनेज कैम्पस के अंदर में भी हो। दिव्यांगजनों के लिए अनुकूलित साइनेज की भी व्यवस्था की जाय।

(ढ) प्रत्येक गृह के प्रत्येक कक्ष में एक रेडियो एवं प्रत्येक गृह में एक Music System की व्यवस्था हो।

(त) सभी गृहों के सी०सी०टी०वी० को ऑन लाईन मॉनिटरिंग हेतु 'अपना घर' परिसर पटना में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा जिसमें कन्ट्रोल पैनल, ए0सी0 एवं उससे संबंधित सभी वांछित उपकरण लगाये जायेंगे।

(थ) उपरोक्त कार्यो के अतिरिक्त यदि किसी गृह में इससे इतर भी आधुनिकीकरण कार्य कराये जाने का प्रस्ताव हो तो संबंधित प्राधिकार यथा- प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय तथा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त कर उक्त आवंटित राशि से व्यय की जा सकती है। साथ ही उपरोक्त प्रस्ताव में से कोई भी प्रस्ताव पूर्व से लागू हो तो उसपर विचार नहीं किया जायेगा जैसे- यदि किसी गृह में दो टी०वी० पूर्व से उपलब्ध हो तो अतिरिक्त नये टी०वी० का क्रय नहीं किया जाना चाहिए आदि।

3. सभी सरकारी गृहों में साज-सज्जा एवं आधुनिकीकरण हेतु उपरोक्त कार्य संचालित गृहों के योजना बजट शीर्ष से ही विकलनीय होगी। गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित गृहों में रंग-रोगन के क्रम में बच्चो से संबंधित गृहो के अंदरूनी दीवार पर Child Friendly Painting का व्यय सरकार के द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य व्यय गैर सरकारी संस्थाओं को भुगतान किये जाने वाली राशि से किया जाना है। गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा स्वयं के भुगतान पर कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत संचालित गृह एवं उत्तर रक्षा गृह के लिए राज्य बाल संरक्षण समिति, भिक्षुक पुनर्वास् गृह तथा वृद्धाश्रम के लिए सक्षम तथा अल्पावास गृह तथा रक्षा गृह के लिए महिला विकास निगम के द्वारा उपरोक्त कार्य करवाये जायेंगे तथा इसका समायोजन गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भुगतान किये जाने वाली राशि से किया जायेगा।

4. विभाग द्वारा संचालित किये जाने वाले गृहों के प्रकार, संचालित गृहों की संख्या, उसके बजट शीर्ष तथा उपबंधित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र०	गृह का नाम	संचालन एजेन्सी	गृहो की संख्या	बजट शीर्ष	उपबंधित राशि
1	वृद्धाश्रम गृह	गैर सरकारी	7	51-2235021010106	600.00
2	भिक्षुक पुनर्वास् गृह	गैर सरकारी	5	51-2235021040107	1000.00
3	अल्पावास गृह	गैर सरकारी	14	51-2235021030110, 51-2235027890108	6200.00
4	रक्षा गृह	गैर सरकारी	01	51-2235021030110, 51-2235027890108	
5	बालक/बालिका गृह, पर्यवेक्षण गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, सुरक्षित स्थान	गैर सरकारी/सरकार द्वारा	78	51-2235021020323, 51-2235021020223	9900.00
6	उत्तर रक्षा गृह	गैर सरकारी/सरकार द्वारा	01	51-2235021040001	200.61
	कुल		**106**		**17900.61**

5. सरकार द्वारा संचालित बालक गृह 'अपना घर' के लिए 50.00 लाख, बालिका गृह 'निशांत' के लिए 50.00 लाख, उत्तर रक्षा गृह के लिए 50.00 लाख की दर से कुल 150.00 लाख, शेष 103 गृहों के लिए प्रति इकाई 7.00 लाख रूपये की दर से कुल 103x7 = 721.00 लाख (सात करोड एक्कीस लाख) इसके अतिरिक्त 'अपना घर' परिसर में प्रस्तावित कन्ट्रोल रूप के स्थापनार्थ 50.00 लाख अर्थात कुल 150.00 + 50.00 +721.00 = 921.00 लाख (नौ करोड एक्कीस लाख) के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

6. उक्त के आलोक में समाज कल्याण विभाग के पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-29 दिनांक 02.05.2019 को रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0),

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :-3/यो0-स०क०-08/2019/..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित विभाग/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/ निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/ निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/ निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/ निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,समाज कल्याण निदेशालय, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सचिव, बिहार अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त निदेशक (मु0),

समाज कल्याण विभाग।